31/7/24 वकील फरीकेन उप० । पत्रावली में अपहीन नियी बहस सुनी गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रकरण रोष में इस प्रकार है कि है कि धारा 372 दण्ड मोचन सहमति करोकी व धारा 374 ।। सहमतिवर करोकी के नीलामन व पत्रावली खारिज जाने के हेतु निवेदन किया गया। जबकि पत्रावली का अवलोकन किया अवलोकन करने पर पाया कि प्रा० पत्र [illegible] मोहरा चालेंगा के पहचान से नहीं बनाया गया है। प्रा० पत्र [illegible] लिखा जाता है। पत्रावली फैसल होने लायक है। अतः होम हाकिम उचित है।

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2025.08.16 14:33:24 IST
Reason: SelfAttested